

एवबएवदार!

बाल विवाह एक कानूनी अपराध है

21 साल से कम उम्र के लड़के की और 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करवाना कानूनन अपराध / गैरकानूनी है।

बाल विवाह करवाने वाले या उसमें किसी भी तरह सहयोग करने वाले/ भागीदार बनने वाले / हिस्सेदार होने वाले किसी भी व्यक्ति को दो साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आइए हम सब मिलकर
बाल विवाह मुक्त भारत का निर्माण करें

बाल विवाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस को 112 नंबर पर
या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना दे सकते हैं

(सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी)